MAINS MATRIX

TABLE OF CONTENT

1. **भारत के बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों का सम्मान करें**
2. **ग्रेट निकोबार में बंदरगाह-नेतृत्व विकास का भ्रम**

भारत के बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों का सम्मान करें

मुख्य विषय (Central Theme):

यह लेख बच्चों के लिए दवाओं की सुरक्षा से जुड़ी **भारत की नियामक और नैतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता** पर बल देता है। मध्य प्रदेश में दूषित खांसी की दवा से **25 बच्चों की मृत्यु** की त्रासदी के बाद, लेख यह तर्क देता है कि **संविधान द्वारा प्रदत्त बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों** की रक्षा केवल नीतियों से नहीं, बल्कि ठोस सुधारों के माध्यम से होनी चाहिए — विशेषकर **औषधि निगरानी (pharmacovigilance)**, निर्माण प्रक्रिया की निगरानी, और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार द्वारा।

प्रसंग / घटना का कारण (Context / Trigger Event):

- मध्य प्रदेश में दूषित खांसी की दवा से **25 बच्चों की मौत**।
- प्रत्येक बच्चे को ₹2.54 की दवा दी गई — अत्यंत सस्ती किंतु असुरक्षित गुणवत्ता।
- यह घटना तब हुई जब **स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में** चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी खांसी की दवाओं पर पहले ही चेतावनी जारी की थी।

समस्या की पहचान (Problem Identification):

1. नियामक विफलता (Regulatory Failure):

- केंद्र और राज्य के औषधि नियंत्रण तंत्र दूषित दवाओं की निगरानी और रोकथाम में विफल रहे।
- **सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO)** और राज्य नियामक संस्थाओं द्वारा नियमों का कमजोर प्रवर्तन।

2. प्रणालीगत समस्याएँ (Systemic Issues):

- औषधि निगरानी और परीक्षण की प्रभावी व्यवस्था का अभाव।

- बच्चों के लिए उपयुक्त नैदानिक दिशानिर्देशों की कमी; अधिकांश परीक्षण वयस्कों पर आधारित।
- बच्चों के लिए सुरक्षित खुराक और दवा संबंधी डेटा का सीमित प्रसार।
- औषधि सुरक्षा निगरानी हेतु अपर्याप्त ढांचा और अनुसंधान क्षमता।

कानूनी और नीतिगत ढांचा (Legal & Policy Framework):

- भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुल जनसंख्या का लगभग **39%** हैं।
- बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु अनेक कानून लागू हैं —
  - **राष्ट्रीय बाल नीति (1974)**
  - **किशोर न्याय अधिनियम (2015)**
  - **यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012**
  - **गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम**
  - **आधार अधिनियम (लाभ और सब्सिडी के लिए)**
  - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(फ)** — राज्य को बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की गारंटी देता है।
  - **इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान (2014)** — नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित नीति।

बाल चिकित्सा औषध विज्ञान से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ (Key Issues in Paediatric Pharmacology):

- बच्चे **छोटे वयस्क नहीं होते**; उनकी दवा चयापचय (metabolism) भिन्न होती है।
- अधिकतर औषधि परीक्षण वयस्कों पर किए जाते हैं, जिससे परिणामस्वरूप:
  - गलत खुराक निर्धारण और ओवरडोज़ की समस्या।
  - वयस्क डेटा का अनुचित प्रयोग।
  - गंभीर दुष्प्रभावों का जोखिम बढ़ता है।
- अभाव है:
  - बच्चों पर अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन।
  - स्पष्ट खुराक दिशानिर्देश।
  - देखभालकर्ताओं और फार्मासिस्टों के लिए औषधि सुरक्षा शिक्षा।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

वैश्विक तुलना (Global Comparisons):

- **यूरोपीय संघ (EU)** और **अमेरिका (FDA)** में उन्नत कानून हैं —
    - **Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA)**
    - **Paediatric Regulation** — जो अनुसंधान प्रोत्साहन और बच्चों के लिए विशेष दवा निर्माण सुनिश्चित करते हैं।
- भारत में ऐसे **सशक्त और लागू होने योग्य ढाँचे का अभाव** है।

स्वास्थ्य सेवा और बाज़ार से जुड़ी चिंताएँ (Healthcare & Market Concerns):

- बच्चों की दवाओं की ऊँची कीमतें गरीब परिवारों को आर्थिक संकट में डालती हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर **निम्न गुणवत्ता या विकल्पी दवाओं** का वितरण होता है।
- **ओवर-द-काउंटर (OTC)** दवाओं, विशेषकर खांसी सिरप, का बच्चों में अंधाधुंध प्रयोग।
- **Essential Medicine Concept:** राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (EML) में **सुरक्षित और किफायती बाल दवाओं** का समावेश अत्यावश्यक है।

सिफारिशें / आगे का मार्ग (Recommendations / Way Forward):

1. नियामक सुधार (Regulatory Reforms):

- छोटे और मध्यम औषधि निर्माताओं की कड़ी निगरानी।
- गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कठोर अनुपालन।
- बाल-विशिष्ट नैदानिक परीक्षणों और डाटा का विकास।

2. संस्थागत उपाय (Institutional Measures):

- बच्चों के लिए **समग्र औषधि निगरानी तंत्र** की स्थापना।
- औषधि सुरक्षा रिपोर्टिंग और क्षमता निर्माण हेतु मजबूत अवसंरचना।
- बाल दवाओं के लिए खुराक, लेबलिंग और परीक्षण के विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करना।

3. शिक्षा और जागरूकता (Education & Awareness):

- फार्मासिस्टों और अभिभावकों के लिए बाल दवा उपयोग पर नियमित प्रशिक्षण।
- बिना पर्ची की दवाओं (OTC) के दुष्प्रभावों पर जन-जागरूकता।

4. नीति एकीकरण (Policy Integration):

- भारत की **राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (EML)** को बाल-अनुकूल दवाओं

के साथ नियमित रूप से अद्यतन करना।

- **WHO** के बाल स्वास्थ्य मानकों को अपनाना।

निष्कर्ष (Conclusion):

दूषित खांसी सिरप से बच्चों की मृत्यु की यह घटना भारत में **बच्चों की औषधि सुरक्षा की गहरी उपेक्षा** को उजागर करती है। सरकार को तुरंत अपने **नियामक, कानूनी और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचों** में सुधार कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **संविधान द्वारा प्रदत्त बच्चों के सुरक्षित औषधि के अधिकार** केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू हों।

HOW TO USE IT

बच्चों की मृत्यु दूषित कफ सिरप से होना कोई एकाकी त्रासदी नहीं है, बल्कि यह शासन, नियामक निगरानी, और संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन में प्रणालीगत विफलता का प्रतीक है। यह भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है — विशेषकर उन सबसे संवेदनशील नागरिकों की सुरक्षा में, जो बच्चे हैं।

मुख्य प्रासंगिकता:

GS Paper II (शासन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य)

1. समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ:

कैसे उपयोग करें:
बच्चे सबसे संवेदनशील वर्ग हैं, और उनका स्वास्थ्य अधिकार सामाजिक न्याय का मूल तत्व है।

मुख्य बिंदु:

- **संवैधानिक दायित्व:**
  अनुच्छेद 39(f) (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों) के अनुसार, राज्य पर यह दायित्व है कि वह बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करे। यह मुद्दा किसी दान या परोपकार का नहीं, बल्कि एक **संवैधानिक कर्तव्य** का प्रश्न है।
- **विधिक ढांचा:**
  बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु बने विभिन्न कानूनों — जैसे *किशोर न्याय अधिनियम (2015)*, *POCSO अधिनियम (2012)*, आदि — का उल्लेख करें और यह तर्क दें कि यदि बच्चों के लिए सुरक्षित दवा और स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित नहीं है, तो अन्य सुरक्षा उपाय व्यर्थ हो जाते हैं।

2. विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य) में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप:

कैसे उपयोग करें:

यह सीधे-सीधे स्वास्थ्य नीति और दवा नियमन के क्रियान्वयन की समीक्षा है।

मुख्य बिंदु:

- **नियामक विफलता:**
  इस समस्या का मूल कारण *केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)* और राज्य औषधि नियंत्रकों की विफलता है। इनकी निगरानी में ढिलाई के कारण ₹2.54 की सस्ती दवा बच्चों की जान लेने वाली बन गई।
- **नीतिगत खामियाँ:**
  भारत में बाल चिकित्सा (paediatric) औषधि सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था का अभाव है।
  यूरोपीय संघ और अमेरिका में *Best Pharmaceuticals for Children Act (BPCA)* जैसी व्यवस्थाएँ हैं, जो बच्चों के लिए विशिष्ट दवा अनुसंधान और सुरक्षा निगरानी को प्रोत्साहित करती हैं — भारत में ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
- **खराब क्रियान्वयन:**
  यह त्रासदी स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्व चेतावनियों (अप्रैल 2025) के बावजूद हुई, जो **संचार और कार्यान्वयन में विफलता** को दर्शाती है।

द्वितीयक प्रासंगिकता:

GS Paper I (समाज) एवं **GS Paper III (आपदा प्रबंधन)**

1. GS I – महिला एवं महिला संगठनों की भूमिका (परिवार से जुड़े मुद्दे):

कैसे उपयोग करें:

बच्चों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर माताओं और परिवारों के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- सुरक्षित दवाओं की जानकारी और पहुँच की कमी माताओं और अभिभावकों को सबसे अधिक प्रभावित करती है।
- इस प्रकार की घटनाएँ गरीब परिवारों को **ऋणग्रस्तता** और **मानसिक तनाव** की ओर धकेलती हैं।

2. GS III – आपदा प्रबंधन:

कैसे उपयोग करें:

हालाँकि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन यह एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा** है जो प्रणालीगत विफलताओं से उत्पन्न हुई है।

मुख्य बिंदु:

- ऐसी घटनाएँ इस बात पर ज़ोर देती हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक **मजबूत निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र** (surveillance & rapid response system) विकसित किया जाए।

- ताकि भविष्य में किसी भी मानव-निर्मित स्वास्थ्य आपदा को रोका जा सके और प्रभावित समुदायों को तुरंत सहायता मिल सके।

निष्कर्ष:

दूषित कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहरी कमजोरियों की ओर संकेत करती हैं। यह आवश्यक है कि सरकार नियामक, कानूनी और नीतिगत ढाँचों में सुधार कर बच्चों के **सुरक्षित दवा के अधिकार** को — जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है — **व्यवहारिक हकीकत** बनाए।

ग्रेट निकोबार में बंदरगाह-आधारित विकास का मृगतृष्णा (The Mirage of Port-Led Development in Great Nicobar)

परिचय

ग्रेट निकोबार द्वीप के *गालाथिया बे* में प्रस्तावित बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह को भारत के समुद्री भविष्य के लिए एक रणनीतिक और वाणिज्यिक "गेम-चेंजर" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि यह भारत की भूमिका को क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में मजबूत करेगा। हालाँकि, इस परियोजना की **आर्थिक तर्कसंगतता, लॉजिस्टिक व्यवहार्यता और रणनीतिक औचित्य** गहन रूप से संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

1. आर्थिक और वाणिज्यिक तर्क: एक त्रुटिपूर्ण आधार

यह परियोजना इस धारणा पर आधारित है कि बंदरगाह अवसंरचना का निर्माण अपने आप में व्यापारिक यातायात आकर्षित करेगा — जो लेखक के अनुसार आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक है।

त्रुटिपूर्ण धारणा:

सिर्फ बुनियादी ढाँचा बनाना बंदरगाह की सफलता की गारंटी नहीं देता। उसकी सफलता **नेटवर्क कनेक्टिविटी, फीडर लिंक, और स्थानीय माल परिवहन आधार** पर निर्भर करती है — जो ग्रेट निकोबार में मौजूद नहीं है।

हिंटरलैंड का अभाव:

द्वीप में कोई शहरी केंद्र, औद्योगिक क्लस्टर या लॉजिस्टिक हब नहीं है। हर कंटेनर को मुख्य भूमि से लाना और भेजना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।

भौगोलिक अलगाव:

मुख्य भूमि भारत से लगभग **1,200 किमी दूर** होने के कारण ईंधन, जनशक्ति और आपूर्ति की लागत बहुत अधिक होगी, जिससे संचालन आर्थिक रूप से अलाभकारी बन जाएगा।

अवास्तविक लक्ष्य:

16 मिलियन TEUs का लक्ष्य — जो कोलंबो की तुलना में दोगुना है — अव्यवहारिक है क्योंकि ग्रेट निकोबार में न तो शिपिंग एलायंस हैं, न ही स्थापित फीडर नेटवर्क।

उच्च परिचालन लागत:

भारतीय बंदरगाह पहले से ही कोलंबो या सिंगापुर की तुलना में अधिक हैंडलिंग और पोर्ट-कॉलिंग लागत झेलते हैं, जबकि वे रियायतें और एकीकृत सेवाएँ प्रदान करते हैं।

विफलता के उदाहरण:

केरल का *वल्लारपदम पोर्ट* एक चेतावनी है — उत्कृष्ट अवसंरचना के बावजूद कार्गो कनेक्टिविटी के अभाव में वह ट्रांसशिपमेंट हब नहीं बन सका। इसी तरह *कृष्णपट्टनम पोर्ट* ने कंटेनर परिचालन बंद कर दिए।

---

2. रणनीतिक औचित्य: संदिग्ध तर्क

इस परियोजना के रणनीतिक आधार पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं।

मौजूदा सैन्य उपस्थिति:

नौसेना की *NIS Bax* सुविधा पहले से ही बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में निगरानी और सुरक्षा अभियानों का समर्थन करती है।

तात्कालिक खतरे का अभाव:

चीनी नौसेना ने अभी तक इस समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सीधे चुनौती नहीं दी है, जिससे इस परियोजना की तत्कालिकता पर सवाल उठता है।

पारदर्शिता का अभाव:

यदि परियोजना का मुख्य उद्देश्य सामरिक (strategic) है, तो उसे **स्पष्ट रूप से रणनीतिक पहल** के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि वाणिज्यिक परियोजना के रूप में छिपाया जाना चाहिए।

---

3. "मैरिटाइम आर्क" दृष्टि: एक गलत अवधारणा

सरकार ने ग्रेट निकोबार को *विझिंजम (केरल)* और *वधावन (महाराष्ट्र)* के साथ जोड़कर एक "सीमलेस समुद्री आर्क" बनाने की कल्पना की है।

लेखक इस दृष्टि को **लॉजिस्टिक रूप से अव्यवहारिक** मानते हैं।

- ये तीनों बंदरगाह **अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों** में कार्यरत हैं, जिनकी वाणिज्यिक तर्कसंगतता भी भिन्न है।
- ग्रेट निकोबार का भौगोलिक अलगाव और कार्गो बेस की अनुपस्थिति इसे नेटवर्क हब बनने से रोकती है।
- "आर्क" की अवधारणा **प्रतीकात्मक** है, व्यावहारिक नहीं।

---

4. लॉजिस्टिक और नेटवर्क सीमाएँ

वैश्विक नेटवर्क की जड़ता:

कोलंबो और सिंगापुर जैसे प्रमुख बंदरगाह पहले से ही स्थापित वैश्विक शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा हैं, और प्रमुख शिपिंग लाइनें अपने

परिचालन को नए, अनिश्चित बंदरगाहों में स्थानांतरित करने के प्रति अनिच्छुक हैं।

विझिंजम का उदाहरण:

विझिंजम की सीमित सफलता केवल *MSC* नामक एक शिपिंग कंपनी पर निर्भर है, जिसने इसमें हिस्सेदारी ली है। यह दिखाता है कि बंदरगाह की सफलता **दीर्घकालिक साझेदारी** पर निर्भर करती है, केवल अवसंरचना पर नहीं।

ग्रेट निकोबार के लिए निहितार्थ:

बिना सुनिश्चित कैरियर सहयोग और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के, यह बंदरगाह **व्यावहारिक रूप से असफल होने की उच्च संभावना** रखता है।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार पोर्ट परियोजना एक महत्वाकांक्षी लेकिन **जमीनी वास्तविकताओं से कटी हुई दृष्टि** का प्रतीक है — जो आर्थिक भूगोल, समुद्री लॉजिस्टिक्स, और पर्यावरणीय स्थिरता को नज़रअंदाज़ करती है।

यदि यह "विश्व स्तरीय बंदरगाह" कार्गो रहित रह गया, तो यह न तो रणनीतिक लाभ देगा, न ही विकासात्मक प्रगति।

बल्कि यह भारत की *बंदरगाह-आधारित विकास नीति* में **भ्रमित महत्वाकांक्षा** का प्रतीक बनकर उभरेगा।

HOW TO USE IT

ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना एक **"ऊपर से नीचे" (Top-down)** दृष्टिकोण वाली *आपूर्ति-आधारित (Supply-side)* अवसंरचना परियोजना का उदाहरण है, जो **आर्थिक भूगोल और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल सिद्धांतों की अनदेखी** करती है। यह दिखाती है कि बिना ठोस *लागत-लाभ विश्लेषण* (Cost-Benefit Analysis) के "भव्य रणनीतिक दृष्टियों" का पीछा करना न केवल **बड़े वित्तीय नुकसान** बल्कि **पर्यावरणीय क्षति** का कारण भी बन सकता है – जबकि वास्तविक रणनीतिक लाभ संदिग्ध रहते हैं।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - योजना, संसाधन जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

कैसे उपयोग करें:

यह इस लेख का *मुख्य अनुप्रयोग* है। यह परियोजना नियोजन और व्यावहारिकता की एक गहन आलोचना प्रस्तुत करता है।

मुख्य बिंदु:

- **त्रुटिपूर्ण आर्थिक तर्क:**
  यह मान्यता कि *"यदि आप बंदरगाह बनाएंगे, तो जहाज अपने आप आएंगे"* – गलत है।
  बंदरगाह की सफलता **हिंटरलैंड**

(औद्योगिक/शहरी क्लस्टर), फीडर नेटवर्क और **स्थानीय माल आधार (cargo base)** पर निर्भर करती है – जो ग्रेट निकोबार में अनुपस्थित हैं।

- **लागत प्रतिस्पर्धा (Cost Competitiveness):**
  भारतीय बंदरगाह पहले से ही कोलंबो और सिंगापुर जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक लागत झेलते हैं।
  मुख्य भूमि से 1,200 किमी दूर स्थित ग्रेट निकोबार का बंदरगाह ईंधन, जनशक्ति, और आपूर्ति लागत के कारण *और भी महंगा* सिद्ध होगा, जिससे यह प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएगा।
- **विफलता के उदाहरण:**
  वल्लारपदम (केरल) और *कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश)* जैसे बंदरगाहों का उदाहरण देते हुए कहा जा सकता है कि *सिर्फ अवसंरचना पर्याप्त नहीं होती* – जब तक *लॉजिस्टिक एकीकरण* और *शिपिंग कंपनियों की दीर्घकालिक भागीदारी* न हो।

2. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं ह्रास, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA)

कैसे उपयोग करें:
यद्यपि यह लेख मुख्यतः आर्थिक आलोचना पर केंद्रित है, परंतु ग्रेट निकोबार का उल्लेख **उसकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता** के बिना अधूरा रहेगा।

मुख्य बिंदु:

- यह परियोजना एक **यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व** क्षेत्र को खतरे में डालती है।
- यहाँ के *घने वर्षावन* और *विशिष्ट प्रजातियों* (जैसे – विशाल लेदरबैक कछुआ) के प्राकृतिक आवास को खतरा है।
- इस प्रकार आर्थिक आलोचना और भी *मजबूत* हो जाती है, क्योंकि इससे जुड़ा पर्यावरणीय नुकसान *अपरिवर्तनीय* होगा।

3. सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन

कैसे उपयोग करें:
परियोजना का *रणनीतिक औचित्य* एक प्रमुख बहस का विषय है।

मुख्य बिंदु:

- **रणनीतिक खतरे पर प्रश्न:**
  लेखक के अनुसार, चीनी नौसेना ने इस क्षेत्र में भारत के हितों को सीधे चुनौती नहीं दी है।

साथ ही, भारतीय नौसेना की *INS Baaz* सुविधा पहले से ही यहाँ मौजूद है, जिससे अतिरिक्त बंदरगाह की रणनीतिक आवश्यकता संदिग्ध हो जाती है।

- **पारदर्शिता का अभाव:**
  यदि यह परियोजना वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, तो इसे **खुले तौर पर रणनीतिक परियोजना** के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए –
  न कि "वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य" उद्यम के रूप में प्रचारित किया जाए।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन - Governance)

सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

यह परियोजना सरकार की एक विशेष *नीतिगत दृष्टि* का परिणाम है।

मुख्य बिंदु:

- सरकार की "**मैरिटाइम आर्क (Maritime Arc)**" नीति – जिसमें *विझिंजम (केरल)*, *वधावन (महाराष्ट्र)* और *ग्रेट निकोबार (अंडमान)* को जोड़ने की कल्पना की गई है – **लॉजिस्टिक रूप से अव्यवहारिक** है।
- ये तीनों बंदरगाह **अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों** में कार्यरत हैं और उनकी **वाणिज्यिक वास्तविकताएँ भिन्न** हैं।
- यह नीति दृष्टि और जमीनी आर्थिक-लॉजिस्टिक हकीकत के बीच **गंभीर disconnect (विच्छेद)** को दर्शाती है।

सार:

ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात की चेतावनी देती है कि जब *रणनीतिक प्रतीकवाद* नीति-निर्माण पर हावी हो जाता है, तो न तो आर्थिक लाभ होता है और न ही पर्यावरणीय संतुलन बचता है।
यह "**अवसंरचना निर्माण बनाम विकास परिणाम**" के बीच संतुलन की आवश्यकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है – जो UPSC के लिए *अंतर-विषयी (interdisciplinary)* विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

TO JOIN OUR ANSWER WRITING PROGRAMME

VISIT – WWW.MENTORAIAS.CO.IN